न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 22 / 2020

अनवान :–

1. धर्मगर पुत्र दीराजगर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. अमरगर पुत्र तुलछागर जाति गुसाई निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमनगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अविक्ता सायल
श्री हरिसिह सिहाग, अभिभाषक, गेरसायल

निर्णय दिनांक : 06/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खसरा न0 484 की 5.1850हैक् खसरा न0 579 / 2 की 1.1380हैक् खसरा न0 63 / 9 की 1.1380हैक् कुल 7.4610हैक् जिसका सायल खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा देवासर के खसरा न0 351 / 2 की 2.5920हैक खसरा न0 579 / 1 की 2.2250हैक् कुल 4.8170हैक् भूमि जिसका गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल के खेत 579 / 1 के उतर की तरफ की पूर्व से पश्चिम में आम रास्ता है तथा गैरसायल ने अपने खेत खसरा न0 579 / 1 में सायल के चिपते हुए दक्षिणी पूर्वी तरफ पानी की सिचाई हेतु डिग्गी बना रखी है. तथा उक्त डिग्गी तक आने के लिये गैरसायल अपने खेत की पूर्वी तरफ से दक्षिण तक आता है तथा उसी रास्ता से सायल चलकर अपने खेत खसरा न0 579 / 1 में प्रवेश करता है यही उसके लिसे सुविधाजनक रास्ता है।

सायल सदामत से गैरसायल के खेत खसरा न0 579 / 1 उतर से दक्षिण तरफ पुर्वी दिशा से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा अब गैरसायल वहा से गुजरने से आना कानी करते लगा है तथा आये दिन रास्ता रोकने की घमकी देता है यदि गैरसयल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपने खेत में आवागमन नही कर सकेगा जिससे सायल की फसल खराब व अपूर्णीय क्षति होगी।

सायल गैरसयाल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने पर रास्ता में जितनी भूमि आती है के बदले में भूमि या बाजार भाव से किमत देने को तेयार है।

सायल ने गैरसायल को कई मर्तबा कहा की उक्त चालू रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे को कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के गैरसायल के खसरा न0 579 / 1 में उतर से दक्षिण [illegible] एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की गैरसायल के खेत में उतरी तरफ कोई रास्ता स्वीकृत शुद्वा नही है ना ही चालू है खसरा न0 579/1 में से कभी भी रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान में चालू है सायल के खेत के खसरा न0 579/2 के दक्षिण पश्चिम की तरफ चिपते हुए गांव कल्लासर की सीमा पर मंजूर शुद्वा रास्ता है जो गावं देवासर से होते हुए कलासर से सिरगसर को जाता है सायल इसी रास्ते से अपने खेत में आवागमन करता है तथा यही उसके लिये सुविधाजनक रास्ता है जब सायल के खेत में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध है तो वह मुझ गैरसायल के खेत में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है।

सायल गैरसायल से रंजिश रखता है तथा हमारे फोजदारी मुकदमें भी चल रहे है इसी रंजिश के कारण गैरसायल की भूमि में से बनी पानी डिग्गी को नष्ट करने के उदृदेश्य से गलत तथ्य अंकित कर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

गांव देवासर की भूमियों की चकबन्दी होनी है प0न0 मु0न0 बनने है उसी हिसाब से नये रास्ते तजबीज किये जाकर स्वीकृत होने है ना कि खसरों नम्बर पर स्वीकृत किये जायेगे चकबन्दी में रास्ते बदल जायेगे जिससे रास्ता की भूमि गैरमुमकिन हो जावेगी अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र पहले से ही चालू रास्ता उपलब्ध होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया जाकर मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा तहसीलदार नोहर/रावतसर के प्राप्त किया जाकर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा देवासर के खसरा न0 484 की 5.1850हैक खसरा न0 579/2 की 1.1380हैक खसरा न0 63/9 की 1.1380हैक कुल 7.4610हैक जिसका सायल खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा देवासर के खसरा न0 351/2 की 2.5920हैक खसरा न0 579/1 की 2.2250हैक कुल 4.8170हैक भूमि जिसका गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल के खेत 579/1 के उतर की तरफ की पूर्व से पश्चिम में आम रास्ता है तथा गैरसायल ने अपने खेत खसरा न0 579/1 में सायल के चिपते हुए दक्षिणी पूर्वी तरफ पानी की सिचाई हेतु डिग्गी बना रखी है तथा उक्त डिग्गी तक आने के लिये गैरसायल अपने खेत की पूर्वी तरफ से दक्षिण तक आता है तथा उसी रास्ता से सायल चलकर अपने खेत खसरा न0 579/1 में प्रवेश करता है यही उसके लिसे सुविधाजनक रास्ता है।

सायल सदामत से गैरसायल के खेत खसरा न0 579/1 उतर से दक्षिण तरफ पुर्वी दिशा से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है तथा अब गैरसायल वहा से गुजरने से आना कानी करते लगा है तथा आये दिन रास्ता रोकने की घमकी देता है यदि गैरसयल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपने खेत में आवागमन नही कर सकेगा जिससे सायल की फसल खराब व अपूर्णीय क्षति होगी।

सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा देवासर के गैरसायल के खसरा न0 579/1 में उतर से दक्षिणी पूर्वी तरफ एक – एक गठठा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की गैरसायल के खेत में उतरी तरफ कोई रास्ता स्वीकृत शुद्वा नही है ना ही चालू है खसरा न0 579/1 में से कभी भी रास्ता नही रहा है ना ही वर्तमान में चालू है सायल के खेत के खसरा न0 579/2 के दक्षिण पश्चिम की तरफ चिपते हुए गांव कल्लासर की सीमा पर मंजूर शुद्वा रास्ता है जो गावं देवासर से होते हुए कलासर से सिरगसर को जाता है सायल इसी रास्ते से अपने खेत में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करता है तथा यही उसके लिये सुविधाजनक रास्ता है जब सायल के खेत में आवागमन के लिये रास्ता उपलब्ध है तो वह मुझ गैरसायल के खेत में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है।

सायल गैरसायल से रंजिश रखता है तथा हमारे फोजदारी मुकदमें भी चल रहे है इसी रंजिश के कारण गैरसायल की भूमि में से बनी पानी डिग्गी को नष्ट करने के उद्देश्य से गलत तथ्य अंकित कर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

गांव देवासर की भूमियों की चकबन्दी होनी है प0न0 मु0न0 बनने है उसी हिसाब से नये रास्ते तजबीज किये जाकर स्वीकृत होने है ना कि खसरों नम्बर पर स्वीकृत किये जायेगे चकबन्दी में रास्ते बदल जायेगे जिससे रास्ता की भूमि गैरमुमकिन हो जावेगी अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र पहले से ही चालू रास्ता उपलब्ध होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार

रोही मौजा देवासर के खसरा न0 484 की 5.1850हैक खसरा न0 579/2 की 1.1380हैक खसरा न0 63/9 की 1.1380हैक कुल 7.4610हैक जिसका सायल खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा देवासर के खसरा न0 351/2 की 2.5920हैक खसरा न0 579/1 की 2.2250हैक कुल 4.8170हैक भूमि जिसका गैरसायल संख्या 1 खातेदार काश्तकार है जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से साबित है।

सायल के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु गैरसायल की खातेदारी भूमि रोही मौजा देवासर के गैरसायल के खसरा न0 579/1 में उतर से दक्षिणी पूर्वी तरफ एक – एक गठठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है

गैरसायल ने सायल के कथनों को विरोध करते हुए व्यक्त किया गया है कि सायल के खेत खसरा न0 579/2 के दक्षिण पश्चिम की तरफ चिपते हुए गांव कलासर की सीमा पर मंजुर शुद्वा रास्ता है जो गांव देवासर से होते हुए कलासर से सिरगसर को जाता है सायल इसी रास्ता का उपयोग कर अपनी खातेदारी भूमि आवागमन करता है जो सुविधाजनक एवं छोटा रास्ता है।

उभयपक्षों के बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से गैरसायल का आक्षेप स्वीकार योग्य है सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने हेतु पूर्व में ही मंजूर शुद्वा रास्ता उपलब्ध है

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी धर्मगर का खेत जो कि ग्राम देवासर में है और देवासर –कल्लासर की सरहद पर ग्राम कल्लासर में स्वीकृत शुद्वा रास्ता कल्लासर से सिरगंसर है जो कि प्रार्थी धर्मगर के खेत की दक्षिण सीमा पर स्थित है जो सायल की भूमि के चिपकता हुआ है अर्थात सायल को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है।

सायल नया रास्ता जो कि अप्रार्थी के खेत के दक्षिणी पूर्वी कोने में सिचाई हेतु बनी डिग्गी निर्मित है जिसके दक्षिणी तरफ से खाता निर्मित है के पास में से चाहता है सायल पगडंडी रास्ता जो मौके पर भाईचारा से चलता है जो राजस्व रिकार्ड में कटानशुद्वा नही है से रास्ता चाहता है जो न्यायोचित नही है।

सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता गैरसायल की निर्मित डिग्गी एवं निर्मित खाता के पास से चाहा जा रहा है जिससे गैरसायल की डिग्गी व खाता प्रभावित होते है जबकि सायल को पूर्व में ही स्वीकृत रास्ता उपलब्ध है।

यह विधि का सिद्वान्त है कि जब दो व्यक्तियों के उभयपक्षों के हितों को ध्यान में रखा जाकर ही रास्ता स्वीकार किया जाना चाहिये हस्तगत प्रकरण में सायल के द्वारा जो रास्ता चाहा जा रहा है को स्वीकृत करने से गैरसायल के हित प्रभावित होते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किसी काश्तकार के हितो को प्रभावित किया जाकर रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है।

हॉ यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये अन्य काश्तकार जिसकी भूमि में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

हस्तगत प्रकरण में सायल को पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है जो तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है जब सायल को पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है तो अन्य रास्ता दिया जाना न्यायोचित नही है सायल गैरसायल से रंजिश रखने के लिये पंगडडी से रास्ता की मांग की गई तथा सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये देवासर – कल्लासर की सरहद पर ग्राम कल्लासर में स्वीकृत शुद्वा रास्ता कल्लसर से सिरंगसर जो प्रार्थी धर्मगर के खेत की दक्षिणी सीमा पर स्थित है जो सायल की भूमि से चिपकता हुआ है अर्थात सायल को पूर्व में ही अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:15:02 IST
Reason: SelfAttested